सत्यमेव जयते

F.No.14-1/18/2022-H.I(264051)

Government of India

Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg

New Delhi, dated the 30th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Modification of the scheme of Budgetary Support for the cost of Enabling Infrastructure for Hydro Electric Projects.

The Cabinet in its meeting held on 7th March, 2019 approved measures to promote the hydropower sector, including budgetary support for the cost of enabling infrastructure limited to Roads and Bridges. The same was notified vide this Ministry's O.M. no. 15/2/2016-H-I (Pt.) dated: 8th March, 2019.

2. To accelerate the pace of hydropower development, the Cabinet in its meeting held on 11th September, 2024 has approved the following modifications to the earlier approved scheme for budgetary support for the cost of enabling infrastructure.

(a) Scope. To widen the ambit of budgetary support for the cost of enabling infrastructure, the following 4 additional items have been included apart from the construction of roads and bridges i.e. the cost incurred for the construction of:

(i) transmission line from power house to the nearest pooling point, including upgradation of pooling substations of State or Central Transmission Utility,
(ii) ropeways,
(iii) railway sidings,
(iv) communication infrastructure.

The strengthening of existing roads/ bridges leading to the project will also be eligible for central assistance under this scheme.

(b) Applicability. The scheme will apply to:

(i) all hydropower projects of more than 25 MW capacity, including private sector projects which have been allotted on a transparent basis; and

(ii) all Pumped Storage Projects (PSPs), including captive/merchant PSPs, provided that the project has been allotted on a transparent basis in alignment with extant policy/ guidelines of the Ministry of Power.

(iii) Projects for which the Letter of Award for the first major package is issued upto 30.06.2028, will be eligible under this scheme.

(c) Budgetary Support

(i) The budgetary support for enabling infrastructure will be capped at ₹1.0 crore per MW for projects up to 200 MW, and ₹200 crore plus ₹0.75 crore per MW exceeding 200 MW, for projects above 200 MW. In exceptional cases, when the situation so warrants the budgetary support may be increased to ₹1.5 crore per MW, provided there is sufficient justification based on objective criteria specified by the Ministry of Power in consultation with the Ministry of Finance.

(ii) The Budgetary support for the cost of enabling infrastructure will be provided to individual projects after appraisal of the cost of enabling infrastructure by the Delegated Investment Board (DIB) or Public Investment Board (PIB) as applicable, and approval of the Competent Authority, as per extant guidelines.

(iii) Total outlay of the scheme is ₹12,461 crores for the period from financial year 2024-25 to 2031-32.

3. A cumulative hydro capacity of approximately 31 GW, including 15 GW of PSP capacity, would be supported under the scheme.

4. The above ceilings and updated list of eligible components for budgetary support towards enabling infrastructure will take effect from the date of this notification.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

(Inder Mohan)
Under Secretary to the Govt of India
Telefax: 23324357

To,

1. The Chairman, All State Electricity Boards / State Power Utilities
2. The Chairperson, Central Electricity Authority, New Delhi.

3. The Principal Secretary / Commissioner (Power), All State Government and U.T.s
4. The CMDs of all PSUs under the administrative control of Ministry of Power
5. Chairperson, CERC
6. Chairpersons of all SERCs

Copy to

1. Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance
2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance
3. Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance
4. Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance
5. Secretary, MNRE
6. Secretary, MoEFCC
7. Secretary, DoNER
8. CEO, NITI Aayog
9. Secretary, M/o Jal Shakti
10. Chairperson, CWC

Copy also for kind information to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi w.r.t 26/CM/2024 dated: 13th September, 2024.
2. Director, PMO, South Block, New Delhi.
3. All Joint Secretaries/ FA of the Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
4. Director (Tech.) NIC cell, MoP with the request to upload on the website of Ministry.

सं. 14-1/18/2022-H.I (264051)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन।

मंत्रिमंडल ने दिनांक 7 मार्च, 2019 की बैठक में जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को मंजूरी दी, जिसमें सड़कों और पुलों तक सीमित सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता शामिल है। इन्हें इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/2/2016-एच-1 (Pt.) दिनांक 8 मार्च, 2019 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

2. जलविद्युत विकास की गति को बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 की बैठक में सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता हेतु पहले से स्वीकृत योजना में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है।

(क) दायरा: सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, सड़कों और पुलों के निर्माण के अलावा निम्नलिखित 4 अतिरिक्त मदों के निर्माण के लिए होने वाली लागत को शामिल किया गया है:

(i) पावर हाउस से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें राज्य या केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशनों का उन्नयन शामिल है,
(ii) रोपवे,
(iii) रेलवे साइडिंग,
(iv) संचार अवसंरचना

परियोजना तक पहुंचने वाली मौजूदा सड़कों/पुलों का सुदृढ़ीकरण भी इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र होगा।

(ख) पात्रता: यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगी:

(i) 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की सभी जलविद्युत परियोजनाएँ, इनमें निजी क्षेत्र की वे परियोजनाएँ भी शामिल हैं जिन्हें पारदर्शी आधार पर आवंटित किया गया है; और

(ii) कैप्टिव/मर्चेंट पीएसपी सहित सभी पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी), बशर्ते कि परियोजना का आवंटन विद्युत मंत्रालय की मौजूदा नीति/दिशानिर्देशों के अनुरूप पारदर्शी आधार पर किया गया हो।

(iii) वे परियोजनाएँ जिनके पहले प्रमुख पैकेज का अवार्ड लेटर दिनांक 30.06.2028 तक जारी किया गया है, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।

(ग) बजटीय सहायता :

(i) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचना के लिए बजटीय सहायता ₹ 1.0 करोड़ प्रति मेगावाट तथा 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए ₹ 200 करोड़ + ₹ 0.75 करोड़ (200 मेगावाट से ऊपर के प्रति मेगावाट पर) तक सीमित होगी। विशेष मामलों में, यदि स्थिति के अनुसार आवश्यक हो तो बजटीय सहायता को बढ़ाकर 1.5 करोड़ प्रति मेगावाट किया जा सकता है, बशर्ते वित्त मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर पर्याप्त औचित्य मौजूद हो।

(ii) सक्षम अवसरंचना की लागत के लिए बजटीय सहायता मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) या सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इसके मूल्यांकन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद योग्य परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी |

(iii) वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए योजना का कुल परिव्यय ₹ 12,461 करोड़ है।

3. इस योजना के तहत लगभग 31 गीगावाट की संचयी जलविद्युत क्षमता के लिए समर्थन दिया जाएगा, जिसमें 15 गीगावाट पीएसपी क्षमता शामिल है।

4. सक्षम अवसंरचना के लिए बजटीय सहायता हेतु उपर्युक्त अधिकतम सीमाएँ और पात्र घटकों की अद्यतन सूची इस अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

इन्दर मोहन

(इंदर मोहन)
अवर सचिव (भारत सरकार)
टेलीफैक्स: 2332 4357

सेवा में,

1. सभी राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
3. सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/आयुक्त (विद्युत)
4. विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

5. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
6. सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष

प्रतिलिपि

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
6. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7. सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय
10. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के दिनांक 13 सितंबर, 2024 के 26/सीएम/2024 के संबंध में।
2. निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के सभी संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार।
4. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी सेल, विद्युत मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।